संख्या-41/2019-1901/58-2019-330/2014

प्रेषक ,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2019**

विषय :- वर्ष 2019-20 हेतु आलू बीज विक्रय दर का निर्धारण एवं निकासी समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आलू41जी/विक्रय दर/2019-20, दिनांक 11.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये आलू बीज विक्रय दर निर्धारण चार्ट /विवरण के अनुसार, जो दरें आंकलित की गयी है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार आलू बीज की विक्रय दरें निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0सं0	आलू बीज की श्रेणी	रू0 1000 प्रति कुन्तल की कमी करते हुए निर्धारित दरें (रू0 प्रति कु0)	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*
1	आधारित प्रथम	1745.00	सफेद एवं लाल आलू बीज प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान है।
2	ओवर साइज (आधा0प्रथम)	1320.00	
3	प्रमाणित/ट्रुथफुल	1205.00	
	योग-	--	

2- विक्रय दर में आंकलन से सन्तुष्टि की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी।

3- आलू बीज वितरण तथा विक्रय के संबंध में शासनादेश सं0-2437/58-2009-100(2)/2006, दिनांक 01-10-2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आलू बीज की गुणवत्ता आदि के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर कृषकों को आलू बीज उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय, जिससे नीलामी की स्थिति उत्पन्न न हो एवं शासकीय क्षति से बचा जा सके। इस हेतु प्रभावी कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करें। आलू बीज की उक्त विक्रय दरें वर्ष 2020-21 के लिए आधार नहीं मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार ही की जाय।

5- राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम, मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सड़न संकुचन/सूखन के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में निम्नानुसार निगरानी समिति का गठन किया जाता है:-

(अ) <u>राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ हेतु-</u>

1- उप निदेशक उद्यान, लखनऊ।	अध्यक्ष
2- जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ।	सदस्य
3- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, अलीगंज, लखनऊ।	सदस्य/सचिव

(आ) <u>राजकीय शीतगृह मोदीपुरम, मेरठ हेतु-</u>

1- उप निदेशक उद्यान, मेरठ।	अध्यक्ष
2- जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3- आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मोदीपुरम, मेरठ ।	सदस्य/सचिव

6- उक्त् समितियां आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरान्त आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-41/2019-1901(1)/58-2019. तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था, बीज प्रमाणिकरण भवन, राजकीय उद्यान, परिसर, आलमबाग, लखनऊ।
(5) सूचना निदेशक, उ0प्र0 को व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु।
(6) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in